Date - 10 Feb 2022

'पीएम केयर्स फंड'

- नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार, 27 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 के बीच PM CARES फंड द्वारा एकत्र की गई 10,990 करोड़ रुपये की राशि का 64 प्रतिशत मार्च के अंत तक अप्रयुक्त रहा।
- 'पीएम केयर्स फंड' को 'समर्पित कोष' के रूप में पेश किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना था। हालांकि, पीएम केयर्स द्वारा अपने संचालन के पहले वर्ष में केवल 3,976 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

पीएम केयर्स फंड और इसके कामकाज से संबंधित मुद्दे:

- 'पीएम केयर्स फंड' अपनी घोषणा के बाद से ही संदेह के घेरे में रहा है, और विपक्षी दलों द्वारा फंड के संचालन में पारदर्शिता की मांग की जा रही है।

पीएम-केयर्स के बारे में:

- 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत कोष: PM-CARES फंड' का गठन, COVID-19 महामारी के दौरान दान स्वीकार करना, और इसी तरह की अन्य आपात स्थिति और राहत प्रदान करना।

पीएम केयर्स फंड के बारे में?

- PM CARES Fund की स्थापना 27 मार्च, 2020 को 'पंजीकरण अधिनियम, 1908' के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी।
- यह विदेशी योगदान से दान प्राप्त कर सकता है और इस कोष में किए गए दान 100% कर-मुक्त हैं।
- PM-CARES प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से अलग है।

फंड प्रबंधन:

Yojna IAS

- प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार के फंड के पदेन ट्रस्टी होते हैं।

शचींद्रनाथ सान्याल

- 'शचींद्रनाथ सान्याल' (1893 – 1942) की 80वीं पुण्यतिथि 7 फरवरी को मनाई गई। उनका जन्म 3 अप्रैल 1893 को वाराणसी में हुआ था।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:

- शचींद्रनाथ सान्याल ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध करने के उद्देश्य से 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' (एचआरए) की स्थापना की।
- उन्होंने वर्ष 1913 में पटना में 'अनुशीलन समिति' की एक शाखा की स्थापना की।
- 1912 के दिल्ली षडयंत्र मामले में सान्याल ने रास बिहारी बोस के साथ तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमला किया।
- वह व्यापक रूप से 'ग़दर' साजिश की योजनाओं में शामिल था, और फरवरी 1915 में इसका पर्दाफाश होने के बाद भूमिगत हो गया। शचींद्रनाथ सान्याल रास बिहारी बोस के करीबी सहयोगी थे।
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जापान जाने के बाद, शचींद्रनाथ सान्याल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता था।
- वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे।
- सान्याल और महात्मा गांधी 1920 और 1924 के बीच 'यंग इंडिया' में प्रकाशित एक प्रसिद्ध बहस में शामिल थे। सान्याल ने गांधी के 'क्रमिक दृष्टिकोण' के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत किए।
- सान्याल को काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल में कैद किया गया था। यहां उन्होंने अपनी पुस्तक बंदी जीवन (ए लाइफ ऑफ कैप्टिविटी, 1922) लिखी।

Yojna IAS

धारा 498A: IPC

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में आईपीसी की धारा 498ए के बढ़ते दुरुपयोग को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे वैवाहिक संबंधों में टकराव पैदा हो रहा है।
- धारा 498ए का उद्देश्य एक महिला को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा त्वरित राज्य हस्तक्षेप के माध्यम से क्रूरता को रोकना है।
- न्यायालय ने पाया कि पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी को निपटाने के लिए आईपीसी की धारा 498ए जैसे प्रावधानों को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

आईपीसी की धारा 498ए:

- भारतीय दंड संहिता-1860 की धारा 498A भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1983 में पारित की गई थी।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए एक आपराधिक कानून है।
- यह परिभाषित किया गया है कि यदि किसी महिला के पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने किसी महिला के साथ क्रूरता की है, तो यह दोनों में से किसी एक अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए महिलाओं के खिलाफ हिंसा (वीएडब्ल्यू) के खिलाफ सबसे बड़ा बचाव है, जो एक घर की सीमा के भीतर होने वाली घरेलू हिंसा की वास्तविकता का प्रतिबिंब है।

घरेलू हिंसा अधिनियम:

- शारीरिक हिंसा, जैसे थप्पड़ मारना, लात मारना और पीटना।
- यौन हिंसा, जिसमें जबरन संभोग और यौन उत्पीड़न के अन्य रूप शामिल हैं।
- भावनात्मक (मनोवैज्ञानिक) दुर्व्यवहार जैसे अपमान, धमकी, नुकसान की धमकी, बच्चों को ले जाने की धमकी।
- व्यवहार को नियंत्रित करना, जिसमें किसी व्यक्ति को परिवार और दोस्तों से अलग करना, उनकी गतिविधियों की निगरानी करना और वित्तीय संसाधनों, रोजगार, शिक्षा या चिकित्सा देखभाल तक पहुंच को प्रतिबंधित करना शामिल है।

भारतीय कानून जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं?

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986
- सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013

धारा **498A** का दुरुपयोग:

पति और रिश्तेदारों के खिलाफ:

- 498ए के तहत पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ फर्जी मामलों में गिरफ्तारी के लिए महिलाओं द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है।

ब्लैकमेल करने का प्रयास:

- आजकल कई मामलों में, धारा 498ए को पत्नी (या उसके करीबी रिश्तेदारों) को ब्लैकमेल करने का जरिया बनाया जाता है, जब वह तनावपूर्ण वैवाहिक स्थिति से परेशान होती है।
- इसके कारण, ज्यादातर मामलों में धारा 498ए के तहत शिकायत आमतौर पर अदालत के बाहर निपटान के लिए बड़ी राशि की मांग करती है।

विवाह संस्था का मूल्यह्रास:

- अदालत ने विशेष रूप से देखा कि प्रावधानों का दुरुपयोग और शोषण इस हद तक किया जा रहा है कि यह विवाह की नींव के आधार को प्रभावित कर रहा है।
- यह अंततः बड़े पैमाने पर समाज के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत साबित नहीं होता है।
- महिलाओं ने आईपीसी की धारा 498ए का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है क्योंकि यह कानून उनके प्रतिशोध या वैवाहिक स्थिति से बाहर का एक उपकरण बन गया है।

मलीमत समिति की रिपोर्ट, 2003:

- आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर 2003 की मलीमत समिति की रिपोर्ट में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए थे।
- समिति ने कहा था कि आईपीसी की धारा 498ए का दुरुपयोग किया जा सकता है|

आगे का राह:

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लंबी सुनवाई के कारण बड़ी संख्या में आरोपी बरी हो जाते हैं। कई बार पुलिस इतना कमजोर केस कर देती है कि आरोपी जुर्म से बरी हो जाता है। वहीं, शिकायतकर्ता या तो थके हुए हैं या समझौता करने के लिए मजबूर हैं या केस वापस लेने को तैयार हैं।
- इसलिए राज्य और लोगों के दृष्टिकोण को बदलते हुए, घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों को उनके संभावित "दुरुपयोग" को रोककर उनके वास्तविक उद्देश्य के लिए लागू करने की आवश्यकता है।

Yojna IAS

नई रोशनी योजना

- हाल ही में राज्य सभा को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि पिछले तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) में सरकार ने नई रोशनी योजना के तहत 26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसके माध्यम से लगभग एक लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

नई रोशनी योजना के बारे में:

- नई रोशनी, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम जो 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसकी शुरुआत वर्ष 2012-13 में हुई थी।
- योजना का उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके अल्पसंख्यक महिलाओं, उनके पड़ोसियों सहित एक ही गांव/इलाके में रहने वाले अन्य समुदायों के बीच विश्वास का निर्माण करना है।

- यह देश भर में गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों और सरकारी संस्थानों की मदद से चलाया जाता है।
- इसमें महिला नेतृत्व, शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वच्छ भारत, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल, महिलाओं के कानूनी अधिकार, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के लिए वकालत जैसे विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं।

योजना का महत्व:

- महिला सशक्तिकरण न केवल समानता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह गरीबी में कमी, आर्थिक विकास और नागरिक समाज की मजबूती के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है।
- गरीबी से पीड़ित महिलाएं और बच्चे हमेशा सबसे अधिक पीड़ित होते हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। महिलाओं को सशक्त बनाना और भी महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए कि वे जिन घरों में पली-बढ़ी हैं, अपने बच्चों का पालन-पोषण करती हैं।
- यह अल्पसंख्यक महिलाओं को अपने घर और समुदाय की सीमाओं से बाहर निकलने में मदद करता है और रहने और रहने की स्थिति, सेवाओं में सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से सुधार के लिए सरकार के विकास लाभों पर अपने उचित हिस्से का दावा करने के लिए, वे नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं और सुविधाओं, कौशल के लिए पहुंच प्राप्त करके अपने अधिकारों का दावा करते हैं।

अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित अन्य योजनाएं:

- गरीब नवाज रोजगार योजना
- सीखें और कमाएं
- बेगम हजरत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप
- नई मंजिल
- उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन)

Swadeep Kumar

Yojna IAS